राजस्थान सरकार

"रवि आदि बनाम लालचन्द आदि" राजस्व वाद संख्याः--72/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/18	यह पत्रावली राजस्व कैम्प अराईयावाली में पेश हुई। अभिभाषक वादीगण व अभिभाषक प्रतिवादी उप0। वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 की सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र अराईयावाली समझाईस करवाई गई। समझाईस के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रपत्र दिनांक 09-05-2018 के अनुसार उक्त वादपत्र का निरस्तारण करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण ने अपने वादपत्र में कथन किये प्रतिवादी संख्या-1 के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 21 के0एस0पी0 तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या-85/37 में 2.530 हैक्टेयर व चक 21 केएसपी के खाता संख्या-86/78 में 0.506 हैक्टेयर कुल तादादी 3.036 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने यह भी कथन किये कि प्रश्नगत कृषि वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 की पैतृक भूमि है जो प्रतिवादी संख्या-1 को अपने पिता देवीलाल से प्राप्त हुई है। इस कारण वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का प्रश्नगत कृषि भूमि 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर है इसी मुताबिक वादीगण राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाना चाहते हैं। कैम्प अरायाईयांवाली में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 की सामुदायिक मेलमिलाप समझाईस करवाई गई। समझाईस के बाद वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 का द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रपत्र दिनांक 09-05-2018 के अनुसार उक्त वादपत्र में वर्णित भूमि का अच्छी-मन्दी के लिहाज से निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अतः वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा अच्छी-मन्दी के लिहाज से इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि चक 21 केएसपी के खाता संख्या-85/37 में वादीगण को 2.530 हैक्टेयर में 1.518 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन रास्ता व प्रतिवादी संख्या-1 को 2.530 हैक्टेयर में 1.012 हैक्टेयर के खातेदार घोषित किये जाते है तथा इसी चक के खाता संख्या-86/78 में की 0.506 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या-1 की खातेदारी रहेगी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या-1 को 1.518 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता है तथा खाता विभाजन की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण को चक 21 केएसपी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या-85/37 के पत्थर नम्बर-115/323 (15) के किला नम्बर-11 ता 14, किला नम्बर-15/0.228 है0, किला नम्बर-16/0.228 है0 कुल 1.468 हैक्टेयर व 0.050 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन रास्ता व इसी चक के पत्थर सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Copy Not Official

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो इस
	नम्बर–115/323 (15) के किला नम्बर–17 ता 20 तादादी 1.012 हैक्टेयर की खाता विभाजन की डिक्री पारित की जाती है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर रकमराज अलग कायम करने के आदेश दिये जाते है। स्टाम्प शुल्क पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.05.2018 को कैम्प अराईयावाली में सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी

(3)

पर्चा डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः–सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान ....

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर.ए.एस.

रवि आदि बनाम लालचन्द आदि

दावा बाबत 88–53 आरटीए, राजस्व वाद संख्याः–72/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे बहाजरी श्रीमति शंकुन्तला भाटीवाल अधिवक्ता–वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 स्वयं उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वादपत्र वादी मुताबिक राजीनामा इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा अच्छी–मन्दी के लिहाज से इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि चक 21 केएसपी के खाता संख्या–85/37 में वादीगण को 2.530 हैक्टेयर में 1.518 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन रास्ता व प्रतिवादी संख्या–1 को 2.530 हैक्टेयर में 1.012 हैक्टेयर के खातेदार घोषित किये जाते हे तथा इसी चक के खाता संख्या–86/78 में की 0.506 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या–1 की खातेदारी रहेगी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या–1 को 1.518 हैक्टेयर का खातेदार घोषित किया जाता है तथा खाता विभाजन की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादीगण को चक 21 केएसपी तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या–85/37 के पत्थर नम्बर–115/323 (15) के किला नम्बर–11 ता 14, किला नम्बर–15/0.228 है0, किला नम्बर–16/0.228 है0 कुल 1.468 हैक्टेयर व 0.050 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन रास्ता व इसी चक के पत्थर नम्बर–115/323 (15) के किला नम्बर–17 ता 20 तादादी 1.012 हैक्टेयर की खाता विभाजन की डिक्री पारित की जाती है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर रकमराज अलग कायम करने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमलदरामद किया जावे।
..............................लीज..............................मुबलिग......................बातत.......
......................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह...से
तारीख वसुलयाबी..
बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 9 –05–2018 से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

विवरण पक्षकार

1. रवि पिसरान श्री लालचन्द,
2. लीलाधर
   जरिये कुदरतीवलिया माता कैलाश पत्नि लालचन्द, जाति जाट, निवासीगण वार्ड नम्बर–1 चक 21 केएसपी अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

––वादीगण––

बनाम

1. लालचन्द पुत्र श्रीदेवीलाल, जाति जाट, निवासी नम्बर–1 चक 21 केएसपी, अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
2. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
3. उपपंजीयक, हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़–

––प्रतिवादीगण––

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Copy - Not Official

Scanned by CamScanner